जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-09.06.2025**

एसओजी टीम व थाना कोतवाली शामली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में सिंभालका बाईपास पर धागा व्यापारी के मुनीम व चालक से हुई लूट में संलिप्त 02 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल सहित 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गई 10 लाख रुपये की नगदी, अवैध तमंचा कारतूस व घटना में प्रयुक्त गाडी बरामद।

ज्ञात हो कि दिनाँक 03.06.2025 को सांय 18.12 बजे डीसीआर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत सिम्भालका बाईपास पर मेरठ से पानीपत जाते समय पानीपत निवासी धागा व्यापारी के ड्राईवर सतनाम पुत्र दर्शन निवासी नूर वाला थाना जनपद पानीपत व मुनीम अनिल पुत्र स्वरूप निवासी कहलपा थाना बडौदा जनपद सोनीपत से भारत सरकार लिखी बुलेरो सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्वंय को जीएसटी अधिकारी बताकर चेकिंग के लिये गाड़ी रुकवाकर करीब 25 लाख रुपये लेकर थाना किला जनपद पानीपत हरियाणा में आने की बात कहकर चले गये है। सूचना पर तत्काल श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर व अन्य सभी उच्चाधिकारीगण, थाना कोतवाली शामली पुलिस, एसओजी/सर्विलांस, फील्ड़ यूनिट की टीमों द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये। घटना के सम्बन्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 274/2025 धारा 309(4) बीएनएस मे पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली महोदय द्वारा 04 टीमों का गठन कर घटना का यथाशीघ्र अनावरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त घटना के सम्बन्ध में उच्चाधिकारीगण द्वारा लगातार मानिट्रिंग की जा रही थी। घटना के अनावरण में लगी टीमों द्वारा आसपास व अन्य जिलो में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चैक की गयी एवं सर्विलांस(मैनुअली/तकनीकी) से प्राप्त तकनीकी डेटा आदि का अवलोकन व तकनीकी/तार्किक विश्लेषण के माध्यम से अभियुक्तो की शिनाख्त का प्रयास किया गया। अभियुक्तगण की शिनाख्त होने पर गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक 08.06.2025 को अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ श्री भानू भास्कर, पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर श्री अभिषेक सिंह के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक शामली व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में एसओजी शामली व थाना कोतवाली शामली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 03.06.2025 थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत सिंभालका बाईपास पर धागा व्यापारी के मुनीम व चालक से भारत सरकार का स्टीकर लगाकर, जीएसटी अधिकारी बताकर हुई लूट की घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों को ग्राम जगनपुरा तिराहा के पास चैकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल सहित 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्तगण के कब्जे से 10 लाख रुपये की नगदी, 02 अवैध तमंचा 02 खोखा कारतूस व 04 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त वैगनआर गाडीं बरामद हुई है। घायलो के उपचार हेतु सीएचसी शामली भर्ती कराया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में संलिप्त अभियुक्त सागर पुत्र सतीश व बोबी पुत्र जोगिन्द्र निवासीगण ग्राम भेडापुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत व राहुल पुत्र नामालूम निवासी

शालीमार गार्डन, जनपद गाजियाबाद व रोहन पुत्र नामालूम की गिरफ्तारी हेतु टीमे लगी हुई है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी। अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

घटना का क्रम/उद्देश्यः- दिनाकं 03.06.2025 को सिभांलका बाईपास पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वैगनआर व बुलेरो गाडी पर भारत सरकार का स्टीकर लगाकर हरियाणा के धागा व्यापारी के मुनीम व चालक से जीएसटी अधिकारी बताकर लूट की घटना की गयी थी। घटना के अनावरण में लगी टीमों द्वारा आसपास व अन्य जिलो में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चैक की गयी एवं सर्विलांस(मैनुअली/तकनीकी) से प्राप्त तकनीकी डेटा आदि का अवलोकन व तकनीकी/तार्किक विश्लेषण के माध्यम से अभियुक्तो की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा था। विवेचना के क्रम में घटना में प्रयुक्त गाडियो के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी। जानकारी हुई कि घटना में प्रयुक्त गाड़ी बुलेरो UP14EW9515 गुलशन मीणा पुत्र राजकुमार मीणा निवासी प्लाट नं0 418 फ्लेट नं0 301 सेक्टर 4 वैशाली, थाना कौशाम्बी, जनपद गाजियाबाद के नाम पर रजिस्टर्ड है। उक्त बुलेरो को रवि पुत्र जयकुमार बन्थला, थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद द्वारा किराये पर चलाया जा रहा था। रवि की जान पहचान भैडापुर चांदीनगर बागपत का रहने वाला बोबी पुत्र जोगिन्द्र से थी। जो अक्सर रवि से गाडी मुंह मांगे पैसो पर किराये पर ले जाता था।

घटना में प्रयुक्त दूसरी गाडी वैगनआर रजिस्ट्रेशन नं0 DL14CE4022 अनस पुत्र साजर अली निवासी कंचन पार्क, थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद के नाम रजिस्टर्ड है। उक्त वैगनआर को अमरजीत पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम बन्थला, थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद जिसकी बंथला में श्रीजी टूर एण्ड ट्रैवल्स के नाम से कम्पनी है तथा गाडी चलाने का काम करता है के द्वारा किराये पर चलवाने के लिए ले रखा था ।

दिनांकः 03.06.2025 की सुबह 8 बजे के करीब बोबी अपने साथी मोहित और राहुल के साथ आकर रवि से बुलैरो गाडी तथा उसी दिन भेड़ापुर चांदीनगर बागपत के रहने वाले सागर पुत्र सतीश और शुभम उर्फ गौरव ने अमरजीत से वैगनआर गाडी ली थी इन लोगों द्वारा रवि व अमरजीत से बताया गया कि आज एक बहुत अच्छा काम करना है अगर काम हो गया तो तुम्हे भी ठीक ठाक किराया देगे। अभियुक्तो द्वारा बताया कि हम लोग एक हरियाणा वाले धागा व्यापारी के पीछे लगे हुए हैं वो मेरठ से नम्बर 2 का मोटा कैश लेकर आता है आज भी उसके आने की उम्मीद है। इन लोगों ने कहा कि हम लोग फर्जी नम्बर प्लेट व भारत सरकार का स्टीकर लगाकर काम करेंगे जिससे किसी को शक भी नहीं होगा। मुंह मांगा किराया मिलने के लालच में आकर रवि व अमरजीत ने अपनी अपनी गाडियां अभियुक्तों को दे दी थी। योजनानुसार अभियुक्तगणों द्वारा दोनों गाडियों का प्रयोग करते हुए फर्जी नम्बर प्लेट व भारत सरकार का स्टीकर लगाकर सिभांलका बाईपास पर धागा व्यापारी के मुनीम अनिल व चालक सतनाम को रोककर लूट की घटना की गई थी।

गाडियों के मालिक व चालक रवि, गुलशन मीणा व अमरजीत को उक्त घटना की पूर्व से जानकारी थी। जिनके द्वारा लूट जैसी जघन्य घटना कारित किये जाने की जानकारी होते हुए भी लालच में आकर लूट की घटना करने वाले अभियुक्तगणों को गाडियां किराये पर दी गई। गाडियों के मालिक व चालक रवि, गुलशन मीणा व अमरजीत को दिनांक 08.06.2025 को गिरफ्तार किया गया। जिनसे की गई पूछताछ के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्तगणों की तलाश की जा रही थी। दिनांक 08.06.2025 की रात्रि में जगनपुरा पुलिया के पास चैंकिग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में मोहित व शुभम को भी लूटी गई नगदी 10 लाख रुपये, अवैध तमंचा, कारतूस व घटना में प्रय़ुक्त वैगनआर सहित गिरफ्तार किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.मोहित पुत्र लीलू निवासी ग्राम भेडापुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत (घायल)।

2.शुभम उर्फ गौरव पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम भेडापुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत (घायल)।

3.अमरजीत पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम बन्थला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद (गाडी मालिक)।

4.गुलशन मीणा पुत्र राजकुमार मीणा निवासी प्लाट नं0 418 फ्लेट नं0 301 सेक्टर 4 वैशाली, थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद (गाडी मालिक)।

5.रवि पुत्र जयकुमार बन्थला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोहित उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 3/23 धारा 308 भदवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2.मु0अ0सं0 274/2025 धारा 310(2)/61(2)ए बीएनएस थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 284/2025 धारा 109(1)बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शुभम उर्फ गौरव उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 274/2025 धारा 310(2)/61(2)ए बीएनएस थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 284/2025 धारा 109(1)बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 437/19 धारा 279/304ए भादवि थाना खैकडा जनपद बागपत ।

4.मु0अ0सं0 153/22 धारा 323/427/506 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

1.लूटी गयी नगदी 10 लाख रुपये।

2.वैगनआर गाडी रजि0 न0 HR 22 L3456।

3.अवैध 02 तमंचे 315 बोर व 02 खोखा व 04 जिन्दा कारतूस।

4.धागा व्यापारी मुनीम अनिल का आधारकार्ड न0 893565296441।

5.गाडी के अन्दर से 02 फर्जी नम्बर प्लेट न0 इस पर अंकित DL 14CE 4022

6.नीला पिठु बैग।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 श्री वीरेन्द्र कसाना थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री समयपाल अत्री प्रभारी एसओजी जनपद शामली।

3.उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।

4.उ0नि0 श्री फतेह सिंह सर्विलांस टीम प्रभारी जनपद शामली।

5.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

6.उ0नि0 विपिन कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

7.है0का0 मोतीलाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

8.है0का0 सोहित कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

9.है0का0 विकास पुनिया थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

10.है0का0 अंकुर कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

11का0 अंकित मावी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

12.है0का0 ललित शर्मा एसओजी टीम जनपद शामली।

13.है0का0 हरवेन्द्र कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।

14.है0का0 प्रदीप कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।

15.का0 मनीष एसओजी टीम जनपद शामली।

16.का0 राममूर्ति तेजा एसओजी टीम जनपद शामली।

17.का0 दीपक निर्वाण एसओजी टीम जनपद शामली।

18.का0 ललित एसओजी टीम जनपद शामली।

19.का0 अनुज कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।

20.है0का0 मोहित कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली।

21.है0का0 दीपक कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली।

22.का0 मनीष कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त व घटना में संलिप्त 01 अभियुक्ता को माननीय न्यायालय, मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं 100000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 2015 में थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त अमित शर्मा पुत्र सत्यपाल शर्मा निवासी मौहल्ला शिव विहार कालोनी हाल पता मौहल्ला दयान्दनगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसमें थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 146/15 धारा 376 भादवि व ¾ पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त अमित शर्मा व उसकी की पत्नी रूबी शर्मा को उपरोक्त घटना में सहयोग देने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। इसी क्रम में आज दिनांक 09.06.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट-01, मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त अमित व उसकी पत्नी रूबी उपरोक्त को दोषी पाते हुए अभियुक्त अमित को धारा 376 भादवि व ¾ पोक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास की सजा व 50,000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास व अभियुक्ता रूबी शर्मा धारा 376/120 बी भादवि व ¾ पोक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास की सजा व 50,000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामदः-

दिनांक 08.06.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आसिफ पुत्र इलियास निवासी ग्राम मुण्डेट थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 मनोज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 आशीष कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.है0का0 मुकेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 05 लीटर कच्ची शराब बरामदः-

दिनांक 08.06.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 05 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आमिर पुत्र इदरीश निवासी ग्राम फतेहपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 05 लीटर कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सतीश सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.का0 निशान्त थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.का0 विजय कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला शाहमुबारिक में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मारपीट मे प्रयुक्त डंडा बरामद।

ज्ञात हो कि दिनांक 08.06.2025 को नफीश पुत्र हाजी नजीर निवासी मौहल्ला शेखामैदान कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली के मामा का लड़का दानिश उर्फ काला पुत्र शहीद निवासी मौहल्ला शाहमुबारिक अपने ही गांव के जरीफ पुत्र बजीर से व्यापार के उधार के रुपये मांगने पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर घर में घुसकर, गाली गलौच कर जानलेवा हमला किया गया था। घटना के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में आज दिनाँक 09.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला शाहमुबारिक में अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर घर में घुसकर, गाली गलौच कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.समीर पुत्र गुलजार निवासी मौहल्ला छडियान कस्वा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.मारपीट की घटना में प्रयुक्त डंडा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 राघवेन्द्र सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 अशोक कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.है0गा0 संजीव कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।